न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कन्हैया ....बनाम........ हरिमोहन मु.नं.– 161/21 किस्म – T.I	
30.12.2025 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया, जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.1.26 को पेश हो।	
8.1.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-01-26 को पेश हो।	
15.01.26 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-1-26 को पेश हो	
27-01-26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29.01.26 को पेश हो।	
29.1.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/2021	21.09.2021	29.01.2026

बउनवान

1. कन्हैया पुत्र लहरी, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. रामसिंह पुत्र लहरी, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. गिर्राज पुत्र लहरी, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. ईश्वर पुत्र किशना, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..**प्रार्थीगण**

बनाम

1. हरीमोहन पुत्र सुरज्या, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. कालू पुत्र सुरज्या, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. भरोसी पुत्र मोहरचन्द, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. प्रकाश पुत्र मोहरचन्द, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
5. शिवराम पुत्र मोहरचन्द, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
6. गुलाब पुत्र श्रीचन्द, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
7. कल्ली पत्नी श्रीचन्द, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
8. लक्ष्मी पुत्र हरीमोहन, निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..**अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह ।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री रामावतार सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात ग्राम बालाहेडा तहसील बसवा जिला दौसा के खाता सं. नया 22 पुरानी 8 के खसरा सं. 2475, 2476, 2477, 2491, 2492, 2493, 2537, 4099/2333, 4101/2471, 4103/2507 कुल किता 10 कुल रकबा 1.4200 हैक्टे., खाता संख्या 8 के खसरा सं. 2474, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2536, 4098/2333, 4100/2471, 4102/2507 कुल किता 10 कुल रकबा 1.4308 में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि से विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी भी किस्म का नहीं है फिर भी विपक्षीगण जातिगत बाहुल्य एवं मीना जाति के सदस्य होने के कारण छुआछूत का झूठा मुकदमा लगाने की धमकी देकर प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है जिसका कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नहीं है। विपक्षीगण दिनाँक 12.8.2018 को अपने साथ 350–400 आदमी लेकर भूमि विवादित आराजीयात पर कब्जा करने के नाजायज उद्देश्य से हाथों में लाठी, डण्डे, खरवाडी, बन्दूक लेकर आ गए व प्रार्थीगण को गालियाँ देने लग गये और झगडा करने पर आमादा हो गये प्रार्थीगण ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई नहीं तो कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण की जान माल का पूरा पूरा खतरा बना हुआ है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे प्रार्थीगण की भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा करने एवम् काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के अविलम्ब ही पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो जायेगे व प्रार्थीगण का दावा एवं दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करने का मकसद ही फौत हो जावेगा। ऐसी सूरत में विपक्षीगण को तुरन्त ही पाबन्द करवाने हेतु दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है । प्राइमा फैसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के सिद्वांत बमुकाबिले विपक्षीगण, प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे की वे उक्त विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज होकर मुस्तफीद होने देवे व प्रार्थीगण के उपरोक्त विवादित आराजीयात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे व इस अमर से बाज व मुमतनाह रहें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया।अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि जो खसरा नम्बरान प्रार्थीगण द्वारा अंकित किये गये है वे कतई गलत एवं झूठे अंकित गये है। उक्त खसरा नम्बरान पर शुरू से आज तक करीबन सैंकडों वर्षो से अधिक समय से विपक्षीगण के पूर्वजों से ही कब्जा काश्त शांतिपूर्वक आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीगण का इस विवादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण खूँखार व्यक्ति है तथा विपक्षीगण को मीना जाति के लोग होने की घोंस बताकर बदनाम करने पर उतारू है जबकि विपक्षीगण बजमाने बुजुर्गान करीब सैंकडों वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि खसरा नम्बरान पर शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहे है जिसका लगान भी विपक्षीगण अदा करते चले आ रहे है जिसकी नकल रसीद विपक्षीगण के पास मौजूद है। सारे वाकेयात मनगढंत बेबुनियादी तथ्यों पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है जो खारिज किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं है तो प्रार्थीगण का दावा व दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा का चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है । विपक्षीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है तथा उसी भूमि पर अपने छप्पर पोष मकान, जानवरों के वाडे, टीन पोश आदि लगाकर बजमाने बुजुर्गान से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है व विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी समाज द्वारा कोई मुकदमा लम्बित नहीं है। सारे वाकयात प्रार्थीगण द्वारा झूठे आरोप लगाकर मीना जाति का होने के नाते बदनाम करने की कोशिश करते है जबकि विपक्षीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति है जो अपना काश्त व निजी व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करत आ रहे है प्रार्थना पत्र में दर्ज सारे वाकयात बेबुनियादी व झूठे अंकित किये है जो चलने योग्य नहीं है। दिनाँक 12.08.2018 को जुमले गैर सायलान व विपक्षीगण हाथों में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

लाठी, डण्डे व कुल्हाडी लेकर नहीं आये सारे वाकेयात बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र मे बदनाम करने के लिये दर्ज किये है यदि विपक्षीगण का कोई नाजायज गिरोह होता तो यह निश्चित है कि, प्रार्थीगण वादीगण चतुर व चतर किस्म के लोग है वे तुरन्त ही पुलिस थाना महुवा व थाना बांदीकुई में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते थे लेकिन प्रार्थीगण द्वारा कोई रिपोर्ट पुलिस थाना बॉदीकुई व महुवा में विपक्षीगण के विरूद्ध दर्ज नहीं करायी बल्कि सही बात यह है कि कुछ खसरा नम्बर गलती से प्रार्थीगण के नाम अंकित हो गये थे जिनकी बाबत 12 गॉवों की पंचायत हुयी जिसमें प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनों पक्ष मौजूद रहे व लिखावट हुयी व प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की हुयी गलती के कारण विपक्षीगण के हक में रजिस्ट्री करवाने को स्वीकार किया लेकिन उस तथ्य को छिपाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा झूठे आरोप लगाकर यह गलत दावा व दरख्वास्त पेश किया है जो यकीनन खारिज किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि खसरा सं. 549 जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे अॅकन है जिसकी बाबत जमाबन्दी, खतौनी ग्राम बालाहेडा पटवार क्षेत्र बालाहेडा संवत 2041 से 2044, खसरा नं. 549 रकबा 17 बीघा 13 बिसवा चाही एक व बंजड तथा 16 बीघा 15 बिसवा चाही व बंजड भूमि व 15 बिसवा भूमि गैर मुमकिन कुआ व रास्ता अंकित है। खसरा सं. 549 पूर्व में अंकित था जिसके नये नम्बर 549 रकबा 17 बीघा 13 बिसवा के नये नम्बर 2472, 2474, 2475, 2476, 2494, 2495, 2499, 2507, 2517, 2539, 2538, 2537, 2561, 2573, 2574, 2473, 2894, 2472 इस प्रकार कुल रकबा के नया खसरा नम्बरान अॅकित है जिस पर आज तक शान्ति पूर्वक विपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है और वहीं पर अपने खाम व चद्दरपोश रहने के मकान जानवरों के बॉधने का बाडा व चारा रखने का घर आदि बने हुये है जिस पर आज तक करीबन 100 वर्षों से काश्त करते हुये उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस भूमि वादग्रस्त से किसी भी प्रकार का प्रार्थीगण का सम्बन्ध सरोकार नहीं ह। इस बावत सन 1994–95 से 2051 का खसरा परिवर्तन निर्धारण पटवार के बालाहेडा गिरदावर हल्का बैजूपाडा में खसरा सं. 549 पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है इस बाबत खसरा परिवर्तन में विपक्षीगण का नाम अंकित है व इससे पूर्व इनके पूर्वजों के नाम बजमाने बुजुर्गान से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के अलावा प्रार्थीगण की अन्य भूमि है जिससे विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार किती प्रकार का नहीं है । दिनांक 08.1.2017 को 12 गाँवों की मिटिंग हुयी जिसमें सभी समाज के व्यक्ति बुलाये गये तथा प्रार्थीगण व विपक्षीगण भी बुलाये गये जो शान्तिपूर्वक मिटिंग सम्पन्न हुयी व उपस्थित पंचगण व प्रतिष्ठित व्यक्तियों व प्रार्थीगण व विपक्षीगण के हस्ताक्षर करवाये गये आर उसमे प्रार्थीगण के नाम जो भूमि गलती से हो गयी उसको विपक्षीगण के नाम रजिस्ट्री करवाने हेतु स्वीकार किया और अपने हस्ताक्षर किये । प्रार्थीगण चतुर चालाक व्यक्ति है और राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पटवारी हल्का द्वारा कतई गलत रिपोर्ट कराकर प्रार्थीगण ने कुछ खसरा नम्बर की भूमि अपने नाम अलाट करवायी जिसकी बाबत जानकारी होते ही न्यायालय अति. जिला कलेक्टर दौसा बॉदीकुई ने दि 24.8.18 को 14(4) की कार्यवाही मे आवंटन आदेश, दिनांक 15.12.04 खसरा नं. 2507, 2474, 2475, 2476, कुल रकबा 5 रेयर वाके बालाहेडा में आवंटन निरस्त किये जाने की अपील न्यायालय में लम्बित है। दावा कतई झूठे तथ्यों पर पेश किया है तथा दावा व दर० अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। कुछ खसरा नंबर गलत

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अंकन होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत अंकन की रजिस्ट्री विपक्षीगण के हक में करवाने को तहमत हो गये। दिनांक 170.6.2018 को हनुमान मन्दिर पर रजिस्ट्री करवाने को सहमत हो गये । अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। उभय पक्षों ने प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। जबकि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के खातेदार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित आराजीयात पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 2475 , 2476, 2477, 2491, 2492, 2493, 2537, 4099/2333, 4101/2471, 4103/2507 2474, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2536, 4098/2333, 4100/2471, 4102/2507 कुल किता 20 कुल रकबा 2.85 हैक्टे. के संबंध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)